कार्यालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/32/2023

श्रीमती विमलेश देवी पत्नी श्री धर्मवीर उर्फ टीकम सिंह, कुरका वाले फौजी साहब का मकान, गौतम विद्या मंन्दिर स्कूल के पीछे, कर्नल तेजराम की कोठी के पास गणेश नगर कॉलोनी, कोल्ड स्टोर के पीछे सेवर रोड़ भरतपुर मो0न0 6369077903

......अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलेक्टर,भरतपुर

...रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

आदेश **दिनांक 19.7.2023**

अपीलार्थी श्रीमती विमलेश देवी पत्नी श्री धर्मवीर उर्फ टीकम सिंह, कुरका वाले फौजी साहब का मकान, गौतम विद्या मंन्दिर स्कूल के पीछे, कर्नल तेजराम की कोठी के पास गणेश नगर कॉलोनी, कोल्ड स्टोर के पीछे सेवर रोड़ भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर,भरतपुर के खिलाफ इस आशय की प्राप्त हुई है कि अपीलार्थी ने सूचना अधिकार अधिनियम के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 01–03–2023 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर से सूचना चाही थी। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर द्वारा प्रार्थी को सूचना उपलब्ध नही कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गई। इस कार्यालय के पत्र कमांक / कोर्ट / 412 दिनांक 23.6.2023 के द्वारा अपील की प्रति भेजते हुये लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी, अतिरिक्त जिला कलक्टर, भरतपुर से प्राप्त जबाब पत्र कमांक/सामान्य/2023/आरटीआई/अपील/4651 दिनांक 26.06.2023 प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के आर.टी.आई. प्रार्थना पत्र दिनांक 1.3.2023 का अवलोकन किया गया, प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में दो बिन्दूओं पर सूचना चाही गई है, प्रार्थी का कहना है कि उसे सूचना

.......2

अपील / आरटीआई / 32 / 2023
विमलेश देवी बनाम ए.डी.एम.भरतपुर

उपलब्ध नहीं कराई गई है जब कि लोक सूचना अधिकारी ए.डी.एम.शहर, प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलेक्ट्रेट ने अपने जबाव पत्र कमांक / सामान्य / 2023 / आरटीआई / अपील / 4651 दिनांक 26.06.2023 में अंकित किया है कि कार्यालय के पत्रांक सामान्य / आरटीआई / 32 / 2023 / 2353–55 दिनांक 18.3.2023 से प्रार्थीया को सूचना प्रदान की गयी, जिसमें बिन्दू संख्या 1 के उपबिन्दू (ii) व (iii) के सम्बन्ध में प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु 02 रुपये मात्र कैशियर कलेक्ट्रट को जमा कर रसीद प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया, परन्तु प्रार्थीया द्वारा आदिनांक तक वांछित सूचना प्राप्त करने हेतु प्रतिलिपि शुल्क 2/– रुपये इस कार्यालय में जमा नहीं करावाये गये हैं, तथा इस कार्यालय के पृष्ठांकित पत्रांक सामान्य / आरटीआई / 32 / 2023 / 2353–55 दिनांक 18.3.2023 से बिन्दू संख्या –2 के संबध में प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलेक्ट्रैट भरतपुर को धारा 6(3) के अन्तर्गत अन्तरित किया गया है जिसकी सूचना अपीलार्थी / प्रार्थीया की भी दी गई है। प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग कलेक्ट्रैट भरतपुर के पत्र क्रमांक / सतर्कता / आरटीआई / 23 / 477–78 दिनांक 5.6.23 के अवलोकन से जाहिर आया कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के अन्तर्गत उन्होने सहायक निदेशक, लोक सेवाएँ भरतपुर को भेजा गया है। सहायक निदेशक, लोक सेवाएँ भरतपुर ने प्रार्थीया की सूचना की बिन्दू संख्या 2 की सूचनायें नगर विकास न्यास भरतपुर से सम्बन्धित होने के कारण प्रार्थीया के प्रार्थना पत्र को अधिनियम की धारा 6(3) के सचिव, नगर विकास न्यास भरतपुर को जरिये पत्र कमांक/ लोकसेवा / सुनवाई / 2023 / 1771 दिनांक 16.6.2023 से सूचना उपलब्ध कराये जाने हेतु प्रेषित किया गया है, जिसकी सूचना प्रार्थीया को पृष्ठांकित की गई है। उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट आया कि लोक सूचना अधिकारी अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भरतपुर के स्तर पर सूचना लम्बित नहीं है। जहॉ तक प्रश्न लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, सतर्कता अनुभाग कलेक्ट्रेट से सम्बन्धित बिन्दू संख्या 1 के उपबिन्दू (ii) व (iii) की सूचना का है, प्रार्थीया से अपेक्षा की जाती है वह उक्तानुसार सूचना शुल्क जमा कराकर लोक सूचना अधिकारी, प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग कलेक्ट्रेट सूचना प्राप्त करें। अतः उपरोक्त विवेचनानुसार अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सतर्कता अनुभाग, कलेक्ट्रेट, को प्रेषित हो एवं अपीलार्थी को (प्राप्त पत्रादि की फोटो प्रति सलंग्न) कर प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट ना होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर,
भरतपुर